भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *271
18 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

झुंझुनू में शीतागार और पैकेजिंग केंद्र

***271. श्री बृजेन्द्र सिंह ओलाः**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या झुंझुनू लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राजस्थान में शीतागारों की अपार संभावनाओं के बावजूद किसानों कोअपेक्षित बढ़ावा/प्रोत्साहन नहीं मिला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार उक्त जिले सहित राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में शीतागार और पैकेजिंग केंद्र स्थापित नहीं कर पाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं का लाभ केवल बड़े उद्योगपतियों तक ही पहुंच पाया है और किसानों को उपेक्षित छोड़ दिया गया है;
(घ) यदि हां, तो किसानों की उपेक्षा किए जाने के क्या कारण हैं; और
(ङ) यदि नहीं, तो राजस्थान में सरकार द्वारा कितने किसानों को सहायता प्रदान की गई है और विगत तीन वर्षों के दौरान सहायता राशि का उक्त लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) **से (ङ):** विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 18.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए" झुंझुनू में शीतागार और पैकेजिंग केंद्र " के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *271 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ङ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय(एमओएफ़पीआई) राजस्थान सहित देश भर में खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं लगाने में मदद के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र अम्ब्रेला योजना- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) लागू कर रहा है। इन घटक योजनाओं ,नामत: (i) एकीकृत शीत श्रृखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (कोल्ड चेन योजना), (ii) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर्स के लिए अवसंरचना सृजन (एपीसी योजना) और (iii) ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी योजना) - पीएमकेएसवाई का दीर्घकालिक हस्तक्षेप के अंतर्गत, कोल्ड स्टोरेज को एकीकृत खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं में घटक के तौर पर सहायता प्रदान की जाती है। हालांकि, ये घटक योजनाएं स्टैंडअलोन कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं लगाने में मदद नहीं करती हैं। पीएमकेएसवाई की ऊपर बताई गई घटक योजनाएं मांग आधारित हैं और खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं लगाने के लिए समय-समय पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति(ईओआई) के ज़रिए प्रस्ताव मंगाए जाते हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले समेत पूरे देश से कोई भी पात्र उद्यमी, जिसमें किसान या इकाई शामिल हैं, जब भी अभिरुचि कीअभिव्यक्ति चालू हो, किसी भी घटक योजना के तहत आवेदन कर सकता है और फायदा उठा सकता है।

एमओएफ़पीआई, राजस्थान राज्य समेत पूरे देश में नए खाद्य प्रसंस्करण उद्यम शुरू करने/अपग्रेड करने के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता देने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना- प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना(पीएमएफएमई) भी लागू कर रहा है। यह योजना मांग आधारित है और इसे ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में लागू किया जा रहा है। इस योजना का मकसद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाना और क्षेत्र के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना है।

कृषि और किसान कल्याण विभाग देश में बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) लागू कर रहा है। एमआईडीएच के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के आधार पर पैक हाउस, एकीकृत पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, रीफर ट्रांसपोर्ट, राइपनिंग चैंबर आदि की स्थापना सहित विभिन्न कटाई के बाद की प्रबंधन अवसंरचना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनकी आवश्यकता, क्षमता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर एएपी तैयार की जाती है। यह योजना मांग/उद्यमी संचालित है और सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 35% और उत्तरपूर्वी और हिमालयी राज्यों, टीएसपी और अनुसूचित क्षेत्रों, जीवंत गांवों, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह के मामले में 50% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता संबंधित राज्य बागवानी मिशन (एसएचएम) के माध्यम से प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, डीए एंड एफ़ डबल्यू के अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) एक स्कीम लागू कर रहा है, जिसका नाम है, कोल्ड स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण और बागवानी उत्पादों के भंडारण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी। इस स्कीम के अंतर्गत, 5000 एमटी से ज़्यादा और 10000 एमटी तक की क्षमता के कोल्ड स्टोरेज और कंट्रोल्ड एटमॉस्फियर (सीए) स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत का 35% और पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी उपलब्ध है। पूर्वोत्तर इलाके के मामले में, 1000 एमटी से ज़्यादा क्षमता वाली यूनिट्स भी वित्तीय मदद के लिए पात्र हैं। यह योजना मांग आधारित है और राजस्थान के झुंझुनू जिले सहित पूरे देश में लागू की जा रही है।

पीएमकेएसवाई के तहत खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं लगाने के लिए वित्तीय मदद पाने के लिए, देश भर से कोई भी व्यक्ति / सेंट्रल और स्टेट पीएसयू / जॉइंट वेंचर / एनजीओ / कोऑपरेटिव / सेल्फ़ हेल्प ग्रुप (एसएचजी) / फ़ार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइज़ेशन (एफ़पीओ) / फ़ार्मर प्रोड्यूसर कंपनी (एफ़पीसी) / पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ / लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) / पार्टनरशिप फ़र्म / प्रोपराइटरशिप फ़र्म पात्र हैं। इसके अलावा, किसानों वाले एफ़पीओ/एफ़पीसी /एसएचजी और एससी/एसटी कैटेगरी/ आईटीडीपी एरिया के

आवेदक को पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के तहत सामान्य क्षेत्रों/ सामान्य श्रेणी के आवेदकों की तुलना में ये फ़ायदे दिए गए हैं:

(i) सामान्य क्षेत्र के आवेदक के मामले में मांगी गई अनुदान-सहायता के 1.5 गुना की तुलना में मांगी गई अनुदान-सहायता के बराबर निवल संपत्ति होनी चाहिए।

(ii) सामान्य क्षेत्र के आवेदक के मामले में कुल परियोजना लागत के कम से कम 20% की तुलना में कुल परियोजना लागत के 10% कम से कम प्रमोटर इक्विटी डाली जाएगी।

(iii) सामान्य क्षेत्र के आवेदक के मामले में कुल परियोजना लागत के कम से कम 20% की तुलना में कुल परियोजना लागत के कम से कम 10% का सावधि ऋण प्राप्त करना होगा

(iv) सामान्य क्षेत्र के आवेदक के मामले में पात्र परियोजना लागत के 35% की तुलना में पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता/सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

31.01.2025 तक, डीए एंड एफ़ डबल्यू के दिए गए डेटा के अनुसार, पूरे देश में कुल 8760 कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं, जिनकी कुल क्षमता 397.08 एलएमटी है। इसका विवरण **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न है।

पीएमकेएसवाई के तहत, राजस्थान राज्य में पिछले तीन सालों (2022-23 से 2024-25) में 94.73 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता/सब्सिडी वाली 24 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है। राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में कोई खाद्य प्रसंस्करण प्रोजेक्ट मंज़ूर नहीं किया गया है। राजस्थान राज्य में पीएमकेएसवाई के तहत पिछले तीन सालों (2022-23 से 2024-25) में मंज़ूर की गई परियोजनाओं का ज़िले-वार विवरण **अनुबंध-II** दिया गया है।

एमओएफ़पीआई की पीएमएफ़एमई योजना के तहत, पिछले तीन वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम शुरू करने के लिए राजस्थान राज्य में 1087 लाभार्थियों को सब्सिडी के तौर पर कुल 104.42 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जिसमें झुंझुनू जिले में 24 लाभार्थियों को 1.42 करोड़ रुपये की सब्सिडी शामिल है। राजस्थान राज्य में पीएमएफ़एमई योजना के तहत पिछले तीन सालों (2022-23 से 2024-25) के दौरान मंज़ूर की गई परियोजनाओं का जिले-वार विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है। इसके अलावा लघु वनोत्पाद और मसालों के प्रसंस्करण के लिए 3.45 करोड़ रुपये के स्वीकृत सहायता अनुदान से कृषि उपज मंडी समिति, उदयपुर में इन्क्यूबेशन केंद्र स्थापित किया गया था।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की कोल्ड स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण और बागवानी उत्पाद के स्टोरेज के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजना के तहत, राजस्थान राज्य में पिछले तीन वित्त वर्ष(2022-23 से 2024-25) के दौरान 5 कोल्ड स्टोरेज परियोजनाओं को 7.83 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी गई है। हालांकि, झुंझुनू जिले में किसी भी कोल्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट को मदद नहीं दी गई है।

******

अनुबंध- I

दिनांक 18.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए" झुंझुनू में शीतागार और पैकेजिंग केंद्र " के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *271 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

31.01.2025 तक देश में राज्य-वार सृजित कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	परियोजनाओं की संख्या	सृजित कोल्ड स्टोरेज (क्षमता मीट्रिक टन में) [2025 के दौरान कृषि और किसान कल्याण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार]
1	अंडमान और निकोबार	4	2210
2	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	480	1996340
3	अरुणाचल प्रदेश	2	6000
4	असम	43	206742
5	बिहार	316	1490200
6	चंडीगढ़	7	12462
7	छत्तीसगढ	130	577663
8	दिल्ली	97	129857
9	गोवा	29	7705
10	गुजरात	1023	4042770
11	हरियाणा	386	870703
12	हिमाचल प्रदेश	89	181318
13	जम्मू और कश्मीर	92	151833
14	झारखंड	59	242655
15	कर्नाटक	268	912417
16	केरल	202	96655
17	लक्षद्वीप	1	15
18	मध्य प्रदेश	320	1381827
19	महाराष्ट्र	665	1219851
20	मणिपुर	2	4500
21	मेघालय	4	8200
22	मिजोरम	3	4071
23	नागालैंड	5	8150
24	ओडिशा	182	579321
25	पुदुचेरी	4	185
26	पंजाब	770	2604206
27	राजस्थान	190	648908
28	सिक्किम	2	2100
29	तमिलनाडु	188	399690
30	तेलंगाना	116	617131
31	त्रिपुरा	14	46354
32	उत्तर प्रदेश	2488	15096476
33	उत्तराखंड	62	206848
34	पश्चिम बंगाल	517	5952997
	कुल	**8760**	**39708360**

(स्रोत: विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) 2009 तक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय)

अनुबंध- II

दिनांक 18.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए" झुंझुनू में शीतागार और पैकेजिंग केंद्र " के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *271 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राजस्थान राज्य में पीएमकेएसवाई योजना के तहत पिछले तीन सालों में मंज़ूर की गई परियोजनाओं का ज़िले-वार विवरण

क्रमांक	जिले का नाम	2022-23 से 2024-25	
		स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत जीआईए/ सब्सिडी (करोड़ रुपये में)
1	अजमेर	4	9.28
2	अलवर	0	0
3	अनूपगढ़	0	0
4	बालोतरा	0	0
5	बांसवाड़ा	0	0
6	बारां	0	0
7	बाड़मेर	1	7.26
8	ब्यावर	0	0
9	भरतपुर	0	0
10	भीलवाड़ा	0	0
11	बीकानेर	9	32.26
12	बूंदी	1	5.00
13	चित्तौड़गढ़	0	0
14	चुरू	0	0
15	दौसा	0	0
16	डीग	0	0
17	धौलपुर	0	0
18	डीडवाना-कुचामन	0	0
19	डूंगरपुर	0	0
20	गंगानगर	0	0
21	गंगापुरसिटी	0	0
22	हनुमानगढ़	0	0
23	जयपुर	2	14.84
24	जयपुर ग्रामीण	0	0

क्रमांक	जिले का नाम	2022-23 से 2024-25	
		स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत जीआईए/ सब्सिडी (करोड़ रुपये में)
25	जैसलमेर	0	0
26	जालौर	1	10.00
27	झालावाड़	0	0
28	**झुंझुनू**	**1***	**0.24**
29	जोधपुर	2	1.83
30	जोधपुर (ग्रामीण)	0	0
31	करौली	0	0
32	केकरी	0	0
33	खैरथल-तिजारा	0	0
34	कोटा	0	0
35	कोटपुतली-बहरोड़	0	0
36	नागौर	1	5.00
37	नीम का थाना	0	0
38	पाली	0	0
39	फलौदी	0	0
40	प्रतापगढ़	0	0
41	राजसमंद	0	0
42	सलूम्बर	0	0
43	सवाई माधोपुर	0	0
44	सीकर	0	0
45	सिरोही	0	0
46	टोंक	1	8.64
47	उदयपुर	1	0.38
कुल योग		**24**	**94.73**

*** पीएमकेएसवाई के अनुसंधान एवं विकास घटक के तहत अनुमोदित एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना ।**

अनुबंध- III

दिनांक 18.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए" झूंझूनू में शीतागार और पैकेजिंग केंद्र " के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *271 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राजस्थान राज्य में पीएमएएफ़एमई योजना के तहत पिछले तीन सालों में मंज़ूर परियोजनाओं की ज़िले-वार जानकारी

क्र. सं.	**जिले का नाम**	**2022-23 से 2024-25**	
		स्वीकृत ऋणों की संख्या	**स्वीकृत सब्सिडी (करोड़ रुपये में)**
1	अजमेर	94	4.93
2	अलवर	37	2.51
3	अनूपगढ़	8	0.12
4	बालोतरा	1	0.1
5	बांसवाड़ा	8	0.41
6	बारां	14	0.81
7	बाड़मेर	24	1.68
8	ब्यावर	3	0.22
9	भरतपुर	32	1.5
10	भीलवाड़ा	19	1.2
11	बीकानेर	46	4.19
12	बूंदी	29	1.55
13	चित्तौड़गढ़	27	2.14
14	चुरू	20	1.38
15	दौसा	8	0.48
16	डीग	8	0.26
17	धौलपुर	3	0.16
18	डीडवाना-कुचामन	1	0.1
19	डूंगरपुर	15	0.56
20	गंगानगर	27	1.12
21	गंगापुरसिटी	1	0.1
22	हनुमानगढ़	39	2.38
23	जयपुर	157	10.7
24	जयपुर ग्रामीण	3	0.23

क्र. सं.	जिले का नाम	2022-23 से 2024-25	
		स्वीकृत ऋणों की संख्या	स्वीकृत सब्सिडी (करोड़ रुपये में)
25	जैसलमेर	1	0.09
26	जालौर	6	0.47
27	झालावाड़	10	0.49
28	**झुंझुनू**	**24**	**1.42**
29	जोधपुर	71	4.18
30	जोधपुर (ग्रामीण)	4	0.34
31	करौली	9	0.24
32	केकरी	7	0.12
33	खैरथल-तिजारा	1	0.05
34	कोटा	41	2.28
35	कोटपुतली-बहरोड़	4	0.26
36	नागौर	25	1.65
37	नीम का थाना	1	0.03
38	पाली	32	1.85
39	फलौदी	1	0.1
40	प्रतापगढ़	15	0.75
41	राजसमंद	45	1.77
42	सलूम्बर	0	0
43	सवाई माधोपुर	7	0.39
44	सीकर	38	1.93
45	सिरोही	7	0.23
46	टोंक	28	1.66
47	उदयपुर	86	5.32
कुल योग		**1087**	**64.45**

******